<u>न्यायालय :-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय</u> <u>बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-8/2017

संस्थित दिनांक — 10.02.2017

सी.आई.एस. फाईलिंग नंबर—आर.सी.ए. / 52 / 2017

बरातु उम्र 61 वर्ष पिता सुनऊ जाति गोंड निवासी ग्राम कोपरो, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)— **वादी / अपीलार्थी**

-// <u>वि</u>रूद्ध //-

1— श्रीमती सुनतीबाई उम्र 57 वर्ष पति प्रतापसिंह मेरावी, जाति गोंड निवासी ग्राम पंडरापानी तहसील बिरसा,

2— श्रीमती उमा मर्सकोले उम्र 57 वर्ष पति बुद्धनसिंह मर्सकोले जाति परधान निवासी ग्राम मण्डई, हा.मु. पौनी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट,

3— गंगाराम मरकाम उम्र 59 वर्ष पिता सुमेरसिंह जाति गोंड, निवासी ग्राम तोरगा तहसील बिरसा,

जिला बालाघाट म.प्र. – – – <u>उत्तरवादीगण</u>

{न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा द्वारा व्य.वाद कमांक 133ए/2016 बरातु विरुद्ध श्रीमती सुनतीबाई अन्य 2 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.12.2016 से क्षुड्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की हैं}

श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री टी.आर. बघेले वास्ते उत्तरवादी कृ. 1,

श्री आर.के.चौहान वास्ते उत्तरवादी क. 2,

श्री अब्दुल सईद खान वास्ते उत्तरवादी क. 3,

-/// <u>निर्णाय</u> ///-(आज दिनांक 13 जनवरी 2018 को घोषित)

01— अपीलार्थी बरातु ने यह नियमित सिविल अपील न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर [श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा] द्वारा व्यवहार वाद कमांक 133ए/2016, बरातु बनाम श्रीमती सुनतीबाई अन्य 2 में निर्णय एवं डिकी पारित कर दिनांक 16.12.2016 को वाद निरस्त किये जाने से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

- 02- प्रतिवादी क. 1 ने वाद पत्र के सम्पूर्ण अभिवचन को स्वीकार किया है।
- 03— वाद पत्र का सार यह है कि मौजा सालेटेकरी पटवारी हल्का नम्बर 35/58 राजस्व निरीक्षक मंडल 2 दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा कमांक 159/2 रकवा 0.05 एकड़ (0.020 हेक्टेयर) भूमि स्थित है। यह भूमि प्रतिवादी क. 2 के स्वत्व आधिपत्य की थी। प्रतिवादी क. 2 ने प्रतिवादी क. 1 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.07.1985 द्वारा क्य कर ली तथा 1 वर्ष बाद इसी भूमि को प्रतिवादी क. 1 ने वादी को दिनांक 25.07.1986 को 1,000/—रूपये में पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर कब्जा सौंप दिया, तब से लगातार वादी उक्त भूमि के कब्जे में है। प्रतिवादी क. 2 का हक दिनांक 19.07.1985 को तथा प्रतिवादी क. 1 का हक दिनांक 25.07.1986 के बाद वाद भूमि पर समाप्त हो गया। वादी ने नामांतरण हेतु हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की मूल प्रति दी थी। वादी ग्राम कोपरो तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव में निवासरत् होने से राजस्व अभिलेख की दुरूस्ती को देख नहीं पाया, असल विक्रय पत्र वापिस नहीं ले पाया।
- 04— प्रतिवादी क. 2 का नाजायज नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रह जाने से वादी के स्वत्व हक की उक्त भूमि प्रतिवादी क. 2 ने प्रतिवादी क. 3 को दिनांक 15.10.2003 को विक्रय कर दी, वादी से धोखाघडी की। प्रतिवादी क. 3 से मिलकर प्रतिवादी क. 2 ने मात्र राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त दिनांक को विक्रय विलेख निष्पादित कराया जो वादी पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादी क. 3 ने वादी के किरायेदार से किराये राशि की मांग कर भूमि व मकान उसका होने की धमकी दिनांक 15.06.2014 को दिये जाने पर वादी को जानकारी होने पर वादी कारण उत्पन्न हुआ।
- 05— वाद सम्पत्ति वादी की है बाबत् घोषणा हेतु मूल्यांकन 1,000/—रूपये कर 500/—रूपये न्यायालय शुल्क, विक्रय विलेख दिनांक 15.12.03 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु मूल्यांकन 1000/—रूपये कर न्यायालय शुल्क 500/—रूपया तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 1,000/—रूपये कर 120/—रूपये न्यायालय शुल्क कुल 1120/—रूपये न्यायालय शुल्क अदा है। वाद भूमि वादी के स्वत्व की है घोषित किया जावे। प्रतिवादी क. 2 द्वारा प्रतिवादी क. 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 15.10.03 को शून्य घोषित कर वादी पर बंधनकारी न होने की घोषणा की जावे तथा वादी के वाद भूमि पर आधिपत्य में है के कारण प्रतिवादी क. 2 एवं 3 को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर हमेशा—हमेशा के लिये वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे, याचना की है।
- 06— प्रतिवादी क. 2 ने वादोत्तर पेश कर वाद पत्र के तथ्यात्मक अभिवचनों को असत्य होने, बनावटी होने, मनगढत और झूठे होने के आधार को अस्वीकार किया है तथा विशिष्ट कथन करते हुये लेख किया है कि

खसरा नम्बर 159/2 रकवा 5 डिस्मिल मौजा सालेटेकरी राज.निरीक्षक मंडल दमोह पटवारी हल्का नं. 35/58 तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि की प्रतिवादी क. 2 स्वामिनी थी। इस भूमि पर प्रति. क. 2 का मकान हाथाबाड़ी बना हुआ था जिसे प्रति.क. 2 ने दिनांक 15.10.2003 को प्रतिवादी क. 3 को विकय किया तथा मकान भूमि पर स्वामित्व सौंप दिया तब से उक्त भूमि पर मालिक काबिज होकर प्रतिवादी क. 3 चला आ रहा है जिसे चुनौती देने का हक नहीं है।

- 07 प्रति.क. 2 प्रति.क. 1 को नहीं पहचानती है। प्रतिवादी क. 2 ने प्रतिवादी क. 1 को वादग्रस्त भूमि यदि विक्रय करती तो उसमें मकान हाथाबाड़ी का उल्लेख होता वादी, प्रतिवादी क. 1 ने षडयंत्र कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है। वाद पोषणीय न होने से निरस्त किये जाने की याचना की है।
- 08— प्रतिवादी क. 3 के वादोत्तर सहप्रतिदावा पेश किया है। प्रतिवादी क. 2 के समान ही वादी ने वादपत्र के अभिवचनों को झूठे, मनगढंत, असत्य बनावटी लेख कर होना अस्वीकार किया है। वादी का प्रार्थना खण्ड प्रति. क. 3 पर बंधनकारी न होने से अस्वीकार किया है तथा प्रतिदावा पेश कर स्वत्व की घोषणा चाहते हुये अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क. 3 ने उचित जान पडताल के बाद प्रतिवादी क. 2 का कब्जा भूमिस्वामी हक पाये जाने के पश्चात दिनांक 15.10.03 को पंजीकृत बैनामा नगद राशि 15000/—रूपये देकर निष्पादित कराया है और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। दिनांक 15.10.03 से वह लगातार कब्जे में है। पूर्व से निर्मित कच्चे मकान की मरम्मत नवंबर 2003 में की हैं। 12 वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण आधिपत्य में है। प्रतिवादी क. 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम कराया है।
- 09— वादी ने स्वयं के कब्जे के संबंध में झूठा और बेबुनियाद अभिवचन किया है। वादी का वाद भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रति. क. 3 के नामांतरण की कार्यवाही में कोई आपित्त पेश नहीं हुई है। वाद भूमि का स्वामी कब्जेदार प्रति.क. 3 को घोषित किया जावे इस हेतु वाद का मूल्यांकन 1000/—रूपये कर 500/—रूपये न्यायालय शुल्क अदा है। तथा विकय दिनांक 25.07.1986 को शून्य घोषित करने हेतु 1000/—रूपये मूल्यांकन कर 120/—रूपया न्यायालय शुल्क अदा है। प्रतिदावा डिकी किये जाने की याचना की है।
- 10— प्रतिदावा का लिखित उत्तर वादी की ओर से पेश कर प्रतिदावा के पद क. 11 लगायत 19 के कथनों को पदवार बनावटी,अस्पष्ट, असत्य होने से अस्वीकार किया जाना लेख किया है और विशिष्ट कथन करते हुये पद क. 10 लगायत 12 में अभिवचन वाद पत्र में किये गये अभिवचन में लेख किया है इसके पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।
- 11— प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है। विधि

विरुद्ध निर्णय कर आज्ञप्ति पारित की है। अपीलार्थी ने उत्तरवादी क. 1 से भूमि क्य की है तथा उत्तरवादी क. 1 ने उत्तरवादी क. 2 से भूमि क्य की है, इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। उत्तरवादी क. 1 को उत्तरवादी क. 2 द्वारा भूमि विक्य किये जाने पर प्रतिवादी क. 2 का भूमि पर स्वत्व समाप्त हो गया था। यदि प्रतिवादी क. 2 ने प्रतिवादी क. 3 को भूमि विक्य की है तो बिना अधिकारिता के है। विचारण न्यायालय ने वाद प्रश्न क. 1, 2, 3 को प्रमाणित न मानकर त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 16.01.16 को अपास्त किये जाने की याचना की है।

12- अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निर्मित किया जाता है:-

 क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.12.16 को पारित करने में तथ्य की त्रुटि, विधि की त्रुटि अथवा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 16.12.16 हस्तक्षेप योग्य हैं?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:-

- 13—उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया । उत्तरवादी क. 3 के द्वारा आज लिखित तर्क पेश किया गया है का अध्ययन कर विचार में लिया गया। रामबाबू वैश्य बनाम सिंधिया कन्या विद्यालय का न्याय दृष्टांत तर्क में लेख है किन्तु अध्ययन हेतु पेश नहीं किया गया।
- 14—वादी साक्षी क. 1 बरातु ने आ. 18 नि. 4 सी.पी.सी. के अधीन पेश मुख्य कथन में पद क. 1 में वाद सम्पत्ति को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.07.86 द्वारा प्रति.क. 1 से क्रय कर स्वत्व और आधिपत्य प्राप्त करना लेख किया और शांतिपूर्ण कब्जा होना लेख किया हैं। साक्षी का मकान किराये पर दिया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य कथन के पद क. 5 में प्रदर्श पी 6 लगायत प्रदर्श पी 6 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है, जिनमें विक्रय विलेख दिनांक 25.07.86 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 1, विक्रय विलेख दिनांक 12.07.85 को प्रदर्श पी 2, विक्रय पत्र दिनांक 15. 10.03 की सत्यप्रतिलिपि को प्रदर्श पी 4 अंकित कराया है। संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.03.05 को प्रदर्श पी 5 अंकित कराया है।
- 15—लक्ष्मण वादी साक्षी क. 2 ने अपने मुख्य कथन में साक्ष्य देकर वादी साक्षी क. 1 के कथन की पुष्टि की है किन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क. 5 में साक्षी ने कथन किया है कि वर्ष 1986 में उसकी उम्र 12 वर्ष रही होगी।

- 16—जीवन सिंह वादी साक्षी क. 3 ने अपने मुख्य कथन के पद क. 1 में साक्ष्य देकर वादी साक्षी क. 1 के कथन की पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण के पद क. 5 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अपना शपथ पत्र पढ़ा नहीं है। किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया है। वाद भूमि किसने किसको बेचा उसने दस्तावेज नहीं दिखाये है। पद क. 6 में स्वीकार किया है कि बुद्धनसिंह मर्सकोले विवादित भूमि में मकान बनाकर रहता था। स्वतः कथन किया है कि कोपरो वाले सुनतीबाई से जमीन खरीदा था। यह इनकार किया है कि बरातु का कब्जा कभी नहीं रहा।
- 17— भघेल वादी साक्षी क. 4 ने अपना मुख्य कथन तैयार कर वादी के पक्ष में कथन पेश किये हैं। न्यायालय के समक्ष लेख कराये गये कथन में साक्ष्य दी है कि केता सुनतीबाई जौजे प्रतापसिंह मडावी साकिन पंडरापानी, केता उमाबाई पित बुद्धनसिंह प्रधान साकिन मण्डई की खसरा नं. 159/2 रकवा 5 डिस्मिल 1000 रूपये बेचा था जिसका 25.07.1985 को दस्तावेज क. 748 ग्रंथ कं. 620 के पृष्ठ 66, 67 पेज पर पंजीकृत किया है। पद क. 2 में साक्ष्य दी हैं कि केता बरातु वल्द सुनव जाति गोंड केता को विकेता सुनतीबाई जौजे प्रतापसिंह ने मौजा सालेटेकरी स्थित खसरा नं. 159/2 रकवा 5 डिस्मिल कीमत 1000/—रूपये में विकय किया था जिसका पंजीयन दिनांक 25.07.86 दस्तावेज क. 712 ग्रंथ क. 674 पृष्ट क. 53, 54 पर पंजीकृत किया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया किया है पंजीयन अधिनियम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते है। पद क. 4 में यह अस्वीकार किया है कि उमाबाई के पहचान के संबंध में कोई दस्तावेज रजिस्टी में संलग्न नहीं है, फोटो संलग्न नहीं है।
- 18—गंगाराम प्रति.साक्षी क. 1 हीरालाल प्रतिवादी साक्षी क. 2 शुक्ला मरकाम के कथनों का अध्ययन किया गया जिन्हें लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख पर प्रतिवादी क. 2 ने 1985 के पूर्व वाद सम्पत्ति की स्वामिनी थी ने स्वयं का परीक्षण अपने अभिवचनों के आधार पर नहीं कराया है।
- 19—िकये गये तर्कों को अपने विचार में लिया गया। धारा 5 सम्पित्ति अंतरण अधिनियम 1882 की विधिक मंशा अनुसार प्रतिवादी क. 2 ने प्रदर्श पी 2 के विकय विलेख से सुनतीबाई के पक्ष में अपनी सम्पित्त विकय कर अपने स्वत्व का अंतरण कर दिया था, विधिक दृष्टि से प्रमाणित है। प्रदर्श पी 1 के दस्तावेज के अनुसार केता सुनतीबाई जो मामले में प्रतिवादी क. 1 है ने प्रदर्श पी 2 के दस्तावेज से प्राप्त स्वत्व को वादी/अपीलार्थी के पक्ष में अंतरित कर दिये जाने से वाद सम्पित्त का भूमिस्वामी स्वत्वाधिकारी वादी विधि के अधीन हो जाता है।
- 20-प्रतिवादी क. 2 नाम राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क. 1 और प्रतिवादी क. 2 द्वारा नामांतरण कार्यवाही न किये जाने से अपने दर्ज नाम का अनुचित लाभ लेते हुये प्रतिवादी क. 2 ने प्रति. क. 3 के पक्ष में विकय विलेख प्रदर्श पी 3 का दिनांक 15.10.03को निष्पादित किया है। जबकि प्रतिवादी

क. 2 के यह ज्ञान में था कि उसने प्रतिवादी क. 1 को वाद भूमि विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया है। प्रदर्श पी 3 के विक्रय विलेख के निष्पादन के समय प्रतिवादी क. 2 के पास किसी प्रकार का स्वत्व सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के प्रभाव के कारण न होने से प्रतिवादी क. 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 3 है अंकित है से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार उत्तरवादी क. 3 प्रतिवादी क. 3 का प्रतिदावा वाद भूमि के भूमिस्वामी हक की घोषणा बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद प्रश्न क. 2 को प्रमाणित न मानकर त्रुटि की है तथा वाद प्रश्न क. 1 को भी प्रमाणित न मानकर भी त्रुटि की है।

- 21—वादी ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में उस व्यक्ति के नाम का खुलाशा नहीं किया है जो उसका किरायेदार है। ऐसे किरायेदार व्यक्ति के कथन भी नहीं कराये है ताकि वादी का आधिपत्य है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी/अपीलार्थी का वाद भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं है तथा प्रतिवादी क. 3 वाद भूमि पर दखल दे रहा है साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार वाद प्रश्न क. 3 प्रमाणित अभिलेख के आधार पर निष्कर्षित किया है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- 22—अतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रदर्श पी 1 के विकय विलेख के आधार पर वादी/अपीलार्थी को वाद भूमि पर स्वत्व अर्जित हो चुका है। वाद भूमि उत्तरवादी क. 2 ने उत्तरवादी क. 1 के पक्ष में प्रदर्श पी 2 के दस्तावेज के अनुसार विकय कर दिये जाने से प्रतिवादी क. 2 के पास प्रदर्श पी 3 विकय विलेख को निष्पादित करते समय कोई स्वत्व शेष न रह जाने से प्रदर्श पी 3 के माध्यम से किया गया विकय शून्य है जो वादी पर बंधनकारी नहीं है, घोषित किया जाता है तथा अपीलार्थी का क्य दिनांक से आधिपत्य प्रमाणित न होने से अपीलार्थी वादी का वाद उत्तरवादीगण/प्रतिवादी गण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अस्वीकार किया गया है कि पुष्टि की जाती है।

अ-उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे

ब-उक्तानुसार डिकी बनाई जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

Sd/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

Sd/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35) CIVIL APPEAL No. **08 OF 2017**

IN THE COURT OF माखनलाल झोड, द्वि.अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

बरातु उम्र 61 वर्ष पिता सुनऊ जाति गोंड निवासी ग्राम कोपरो, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव(छ.ग.) — — वादी / अपीलाथी

/ <u>विरूद</u>्ध //-

- 1— श्रीमती सुनतीबाई उम्र 57 वर्ष पति प्रतापसिंह मेरावी, जाति गोंड निवासी ग्राम पंडरापानी तहसील बिरसा,
- 2— श्रीमती उमा मर्सकोले उम्र 57 वर्ष पति बुद्धनसिंह मर्सकोले जाति परधान निवासी ग्राम मण्डई, हा.मु. पौनी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट,
- 3— गंगाराम मरकाम उम्र 59 वर्ष पिता सुमेरसिंह जाति गोंड, निवासी ग्राम तोरगा बालाघाट — <u>उत्तरवादीगण</u>

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर dated the **16** day **12-2016** Civil Suit No.**133A..**. of **2016**.

This appeal coming on for hearing on the **12** day of **Jan. 2017** before **me** in the presence of-

श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता.for the appellant and of

श्री टी.आर. बघेले अधिवक्ता for the respondent No. 1

श्री आर.के. चौहान अधिवक्ता for the respondent No. 2

श्री अ. सईद खाने अधिवक्ता for the respondent No. 3

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रदर्श पी 1 के विकय विलेख के आधार पर वादी/अपीलार्थी को वाद भूमि पर स्वत्व अर्जित हो चुका है। वाद भूमि उत्तरवादी क. 2 ने उत्तरवादी क. 1 के पक्ष में प्रदर्श पी 2 के दस्तावेज के अनुसार विकय कर दिये जाने से प्रतिवादी क. 2 के पास प्रदर्श पी 3 विकय विलेख को निष्पादित करते समय कोई स्वत्व शेष न रह जाने से प्रदर्श पी 3 के माध्यम से किया गया विकय शून्य है जो वादी पर बंधनकारी नहीं है, घोषित किया जाता है तथा अपीलार्थी का क्य दिनांक से आधिपत्य प्रमाणित न होने से अपीलार्थी वादी का वाद उत्तरवादीगण/प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अस्वीकार किया गया है कि पुष्टि की जाती है।

अ—उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय बहुन करेंगे। ब—उक्तानुसार डिकी बनाई जावे। The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees अपना—अपना are to be Paid by the **Appellants.**

The cost of the original suit be paid by the

Given under my hand and the seal of the Court, this 13 day of Jan. 2018.

Sd/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	620.00	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	620.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Power	10.00
3.	Stamp for Exhibits		Service of Processes	Mala
4.	Service of Processes	20.00	Pleader's fee on Rs (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	62.00
5.	Pleader's Fee on Rs (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	62.00	Stamp for Petition	-
6.	Court Fee on Interim App. & Affidavit.		Court Fee on Interim App. & Affidavit.	-
7.	Translation Fee		Man	
	Total :-	712.00	Total :-	692.00
सात सौ बारह रूपए मात्र छः सौ ब्यानबे रूपए मात्र				

Sd/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर